न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी— विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 42/2019 प्रा.प. 131, 136 एल0आर0एक्ट

1. बबिता पत्नी दिलीप महेता निवासी गंगापुर तहसील—सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर, जिला—भीलवाड़ा

—विपक्षी

वकिल प्रार्थीगण:— श्री राजमल तिवाड़ी
विपक्षी:— सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 26.11.2019

प्रार्थीया ने दिनांक 14—11—2019 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा की आराजी संख्या 5641 रकबा 0.20 हे0 भूमि स्थित थी जिसका विभाजन हो करके प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा प्रकरण संख्या 41/2011 रे0 वा0 से विभाजन हो करके प्रार्थीया के नाम बट्टा नम्बर आराजी संख्या 5641/1 रकबा 0.0667 हे0 भूमि अभिलिखित की गई व अन्य सहखातेदारों के नाम बट्टा नम्बर आराजी संख्या 5641/2 रकबा 0.1333 हे0 भूमि अभिलिखित की गई।

यह कि मौके पर नक्शे में तरमीम करते समय प्रार्थीया के नाम दक्षिण हिस्सा तरमीम नहीं करके उत्तरी हिस्सा तरमीम कर दिया जबकि प्रार्थीया का हिस्सा नक्शे में 5641 में तरमीम होना चाहिये तथा मौके पर प्रार्थीया दक्षिण हिस्से में बैठी हुई है लकिन नक्शे में मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं हुआ है जिससे मौके की स्थिति अनुसार तरमीम करना आवश्यक है।

यह कि उक्त प्रकरण में दोराने बट्टा नम्बर तरमीम करते समय त्रुटि हुई है जो 131 लेण्ड रेवन्यू एक्ट के प्रावधान अनुसार दुरूस्त होने योग्य है जिससे प्रकरण की तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए न्यायहित में नक्शे में तरमीम शुद्ध करके संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

यह कि उक्त प्रकरण में दर्ज रेकार्ड जमाबंदीयों में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्रभावित नही होता हैं, मात्र नक्शे में त्रुटि हुई है जिसके श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है।

अंत में प्रार्थीया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सहाड़ा की आराजी संख्या 5641 के बट्‌टा नम्बर आराजी संख्या 5641/1, 5641/2 को नक्शे में सही रूप से तरमीम किया जावे व मौके की स्थिति कब्जे के अनुसार नक्शे में 5641/2 की जगह 5641/1 को तरमीम कराया जाकर संशोधन कराने का आदेश प्रदान कराया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से तहसीलदार सहाड़ा ने अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया कि भू0अभिलेख निरीक्षक सहाड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा अनुसार आराजी 5641/1 व 5641/2 सम्पूर्ण पर प्रार्थीया का ही कब्जा है। अंत में निवेदन किया कि दोनो आराजी पर वर्तमान में मौका पर्चा अनुसार प्रार्थीया का ही कब्जा है किन्तु यदि आराजी नं0 5641/2 के खातेदारों को यदि कोई आपत्ति नहीं हो तो प्रार्थीया द्वारा चाही गई तरमीन दुरस्ती की जाती है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के मुताबिक मौके पर्चा रिपोर्ट भू0अ0नि0 मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवायी जिसकी अनुपालना में उन्होंने नक्शा लट्‌ठा ट्रेस एवं मौके को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार आराजी 5641/1 व 5641/2 सम्पूर्ण पर प्रार्थीया का ही कब्जा है। जो अलग से नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है ।

तहसीलदार सहाड़ा की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात् दिनांक 25.11.2019 को विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया व सरकारी पेरोकार की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र ही बहस बताया गया तथा दोनों पक्ष सहमत होना उक्तानुसार बहस तथा रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया । तहसीलदार सहाड़ा द्वारा नक्शा लट्‌ठा ट्रेस एवं मौका पर्चा को मध्यनजर रखते हुए जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है वह उचित प्रतीत होती है जिसमें बताये अनुसार आराजी 5641/1 व 5641/2 सम्पूर्ण पर प्रार्थीया का ही कब्जा है। । प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :– 42 / 2019
प्रा.प. 131, 136 एल0आर0एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम सहाड़ा की आराजी संख्या 5641 के बट्टा नम्बर आराजी संख्या 5641 / 1, 5641 / 2 को नक्शे में सही रूप से तरमीम किया जावे व मौके की स्थिति कब्जे के अनुसार नक्शे में 5641 / 2 की जगह 5641 / 1 को हिस्से अनुसार उत्तरी हिस्से में तरमीम के बजाए दक्षिण हिस्से में तरमीम किया जाकर राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जावे । तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग रहेगा जिसे आदेश के साथ संलग्न रखा जावे ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गंगापुर (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.11.26 16:27:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: